



## ● बीआरकेजीबी कृषक मित्र (साथी) योजना

1	उद्देश्य	गैर-संस्थागत स्रोतों जैसे गिरवीदार, खाद एवं कृषि निविष्टियां के विक्रेता, दलाल, महाजनों के चंगुल में फंसे कृषकों को ऋण मुक्त करवाना।
2.	पात्रता	1. आवेदक किसान, बैंक की सुगम पहुँच वाले क्षेत्र (गाँव) का निवासी होना चाहिए 2. जो किसान लिखित में आवेदन कर बैंक को गैर संस्थागत स्रोत (नाम व पता), ऋण की राशि, ऋण की तारीख और अन्य संबंधित विवरण देते हैं।
3.	ऋण सीमा का निर्धारण	कृषि भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का 85% अथवा गैर-संस्थागत ऋणों का बकाया शेष अथवा आवेदित ऋण राशि अथवा अधिकतम ₹50000/-
4.	मार्जिन	कृषि भूमि के मूल्य का न्यूनतम 15% (नकद मार्जिन आवश्यक नहीं)
5.	ब्याजदर	समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दर (परिवर्तनीय) से अर्द्धवार्षिक अंतराल से प्रभारित किया जाए।
6	पुनर्भुगतान	आवेदक की कृषि आय एवं पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर अधिकतम 7 वर्ष प्रारम्भिक छूट की अवधि सहित।
7.	प्रतिभूति	1. कृषि भूमि का धारा 6 (1) के तहत बैंक के पक्ष में रहन प्राप्त किया जायेगा। 2. दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत (अच्छी साख वाले व्यक्तियों की)
8..	सेवा प्रभार	समय-समय पर बैंक द्वारा निर्देशित दरों के अनुसार आवधिक कृषि ऋणों की भांति प्रोसेसिंग चार्ज, निरीक्षण चार्ज व दस्तावेज शुल्क वसूल किया जायेगा।